निग - 2812 - II / 16

107

19-8-16

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2016 पुनरीक्षण

1. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री नेतेश्वरदास गुप्ता
2. श्रीमती मन्जू केसरी पत्नी श्री सीताराम केसरी

निवासीगण- हनुमना, जिला रीवा, म0प्र0 --आवेदिकागण

बनाम

1. श्रीमती रामकुमारी पुत्री श्री हीरामण बेवा पत्नी दिलीप कुमार व्यवसाय- घरूकार्य निवासिनी- ग्राम ममहा वासुदेव तहसील हनुमना जिला रीवा, म0प्र0
2. स्नेहलता बेवा भगवानप्रसाद
3. विमल कुम्हार पुत्र स्व0 श्री महीम प्रसाद समस्त निवासीगण- ग्राम अमहा वासुदेव तहसील हनुमना जिला रीवा, म0प्र0
4. म0प्र0 शासन -अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 23/07/2016 पारित द्वारा न्यायालय श्री के0पी0

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निगरानी 2812–दो / 2016 जिला – रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21 –9–16	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 954 / अपील / 2014–15 में पारित दिनांक 23–7–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 32 का स्थगन आदेश निरस्त किये जाने एवं प्रकरण प्रचलनशील न होने संबंधी आदेश निरस्त किया है। अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सकारण आदेश पारित कर निरस्त किया तथा स्थगन बढाया है। अपर आयुक्त द्वारा पारित अंतरिम आदेश में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	